

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.10.2017 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, नं. No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे०/श्रोआ०/2017/7535,

रायपुर, दिनांक -23.09.2017

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अविनाश चम्पावत, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :—

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2016	877	जनवरी 2017	870
अगस्त 2016	876	फरवरी 2017	869
सितम्बर 2016	873	मार्च 2017	866
अक्टूबर 2016	876	अप्रैल 2017	870
नवम्बर 2016	878	मई 2017	872
दिसम्बर 2016	876	जून 2017	877
कुल	$\frac{5256}{6} = 876$	कुल	$\frac{5224}{6} = 870.66$ (871)

कृषि नियोजन में जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान में औसत 871 है जबकि पूर्व छःमाही में औसत 876 था। इस प्रकार वर्तमान सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2016/2388, दिनांक 07.04.2017 द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें यथावत् रहेंगी।


(अविनाश चम्पावत)
23.9.17

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, नं. No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन (भाग—दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग—दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी—जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू०वे०/श्र०आ०/2017/7535, दिनांक 23.09.2017 के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 871 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक) 876 के ऊपर कोई वृद्धि नहीं हुई है। परिणामतः 01.04.2017 से प्रभावशील परिवर्तनशील महँगाई भत्ता यथावत् दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है। (अनुसूची—“क”)

(अविनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—“क”

कृषि में नियोजन (भाग— “दो”)

(दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7
अकुशल	6900.00	230.00	120.00	4.00	7020.00	234.00

(अखिलेश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित हैं।



(अचिनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgle2012@gmail.com, नो. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक /आठ /न्यूवे० /श्र०आ० /2017 /7536,

रायपुर, दिनांक- 23.09.2017

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3761 /613 /16-ए /82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अविनाश चम्पावत, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2016	280	जनवरी 2017	274
अगस्त 2016	278	फरवरी 2017	274
सितम्बर 2016	277	मार्च 2017	275
अक्टूबर 2016	278	अप्रैल 2017	277
नवम्बर 2016	277	मई 2017	278
दिसम्बर 2016	275	जून 2017	280
कुल	$\frac{1665}{6} = 277.5$	कुल	$\frac{1658}{6} = 276.33$

इनका का औसत 276.33 है जबकि पूर्व छ: माही में औसत 277.5 था। इस प्रकार वर्तमान सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक /आठ /न्यूवे./ श्र.आ./ 2016/2389, दिनांक 07.04.2017 द्वारा परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) के लिए मजदूरी दरें यथावत् रहेंगी। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट “अ” के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(अविनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, नो. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग—एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी—जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2017/7536, दिनांक 23.09.2017 के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 276.33 रहा है, जिसके कारण गत छ:माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 277.5 (2001=100 जनवरी 2016 से जनवरी 2018 के आधार ऑकड़े) के ऊपर कोई वृद्धि नहीं हुई है। परिणामतः 01.04.2017 से प्रभावशील परिवर्तनशील महँगाई भत्ता यथावत् दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है। (अनुसूची – “ख”)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची—“ग” के अनुसार यथावत् निर्धारित करता हूँ। जो कि दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है।



(अविनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट— “अ”

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग—“एक”)

क्र0	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पथर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मैंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलोटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजनन्
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन

24	विक्रय सर्वधन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चांचल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुर्गा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेप्डी सम्मिलित हैं एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फ्यूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन
46	अगरबत्ती उद्योग
47	किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन
48	कृषि में नियोजन

परिशिष्ट “ब” (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :—

“**अकुशल कर्मचारी**” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“**अर्द्धकुशल कर्मचारी**” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्गा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्गा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“**कुशल कर्मचारी**” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“**उच्च कुशल कर्मचारी**” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होंगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय हैं। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।



(अविनाश चम्पावत)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन “अ” –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञाप्ति ली गयी है।

जोन “ब” –

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन “स” –

- जोन “अ” एवं “ब” में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अशोक चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग—एक के 45 नियोजन
(दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील पंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल —	अ	8320.00	320.00	130.00	5.00	8450.00	325.00
		ब	8060.00	310.00	130.00	5.00	8190.00	315.00
		स	7800.00	300.00	130.00	5.00	7930.00	305.00
2	अर्द्धकुशल —	अ	8970.00	345.00	130.00	5.00	9100.00	350.00
		ब	8710.00	335.00	130.00	5.00	8840.00	340.00
		स	8450.00	325.00	130.00	5.00	8580.00	330.00
3	कुशल —	अ	9750.00	375.00	130.00	5.00	9880.00	380.00
		ब	9490.00	365.00	130.00	5.00	9620.00	370.00
		स	9230.00	355.00	130.00	5.00	9360.00	360.00
4	उच्च कुशल —	अ	10530.00	405.00	130.00	5.00	10660.00	410.00
		ब	10270.00	395.00	130.00	5.00	10400.00	400.00
		स	10010.00	385.00	130.00	5.00	10140.00	390.00

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट—“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—“ब” में देखें।

(अभिनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची—“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता।
 (दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल -	अ	8320.00	277.33	130.00	4.33	8450.00	281.67
		ब	8060.00	268.67	130.00	4.33	8190.00	273.00
		स	7800.00	260.00	130.00	4.33	7930.00	264.33
2	अर्द्धकुशल -	अ	8970.00	299.00	130.00	4.33	9100.00	303.33
		ब	8710.00	290.33	130.00	4.33	8840.00	294.67
		स	8450.00	281.67	130.00	4.33	8580.00	286.00
3	कुशल -	अ	9750.00	325.00	130.00	4.33	9880.00	329.33
		ब	9490.00	316.33	130.00	4.33	9620.00	320.67
		स	9230.00	307.67	130.00	4.33	9360.00	312.00
4	उच्च कुशल -	अ	10530.00	351.00	130.00	4.33	10660.00	355.33
		ब	10270.00	342.33	130.00	4.33	10400.00	346.67
		स	10010.00	333.67	130.00	4.33	10140.00	338.00

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—“ब” में देखें।

(अविनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, नं. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे० / श्रोआ० / 2017 / 7537,

रायपुर, दिनांक -23.09.2017

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं अविनाश चम्पावत श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2017 से जून 2017 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2016	1296	जनवरी 2017	1269
अगस्त 2016	1287	फरवरी 2017	1269
सितम्बर 2016	1283	मार्च 2017	1273
अक्टूबर 2016	1287	अप्रैल 2017	1283
नवम्बर 2016	1283	मई 2017	1287
दिसम्बर 2016	1273	जून 2017	1296
कुल	$\frac{7709}{6} = 1285$	कुल	$\frac{7677}{6} = 1279.50$

अतः विगत छः माहों का औसत 1279.50 है जबकि पूर्व में औसत 1285 था। वर्तमान सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक / आठ / न्यू.वे./ श्र.आ./ 2016 / 2390, दिनांक 07.04.2017 द्वारा अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें यथावत् रहेंगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है।

(अविनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अग्रबद्धी उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/
न्यू०वे०/श्र०आ०/२०१७/7537, दिनांक 23.09.2017 के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017
तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1279.5 रहा है। विगत
छःमाही जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि में औसत 1285 था, इसलिये अखिल
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार ऑकड़ों के ऊपर कोई वृद्धि नहीं
होने के परिणामस्वरूप अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महँगाई
भत्ता पूर्ववत् दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है।

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी) 3-97-16-ए, दिनांक
12.01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-4 (सी) 3-97-16-ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के
अन्तर्गत अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील
महँगाई भत्ता अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018
तक देय है। अनुसूची “ई”

(अजिताश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची – “ई”

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	₹0 6.31 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	17.97
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	₹0 6.78 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	18.44

आ. निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की ज़िल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 5.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	14.70
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	15.17
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	15.17
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 7.60 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	19.26
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 10.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	25.86
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 11.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	29.71
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	30.58
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 14.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	37.61

सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	15.17
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	18.91
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	₹0 8.62 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	24.20

4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	9.12	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	24.70
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	10.52	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	26.10
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	11.92	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	30.58
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	13.33	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	36.66
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	15.21	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	38.54

(ई) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना,
पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	4.45	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	12.19
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	4.90	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	12.64
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	5.82	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	15.15
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	6.31	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	15.64
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	7.25	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	18.91
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	8.41	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	20.07

(ईई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	0.94	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिन्दु)	2.81
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0	1.15	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिन्दु)	3.20
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000	रु0	1.80	पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिन्दु)	4.88

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)

न्यूनतम मजदूरी

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
1.	एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर	1699.75	65.37	4624.00	177.85	6323.75	243.22 (243)
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क,	1590.50	61.17	4624.00	177.85	6214.50	239.02 (239)
3.	मिस्ट्री, ड्राईवर	1699.75	65.37	4624.00	177.85	6323.75	243.22 (243)
4.	पेटी बनाने वाले, पेटी भरने वाला	1590.50	61.17	4624.00	177.85	6214.50	239.02 (239)
5.	मसाला तोलने वाला, पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला	1482.40	57.01	4624.00	177.85	6106.40	234.86 (235)

नोट:- अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भूत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

(अचिनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही०डी०ए०) जनवरी 2017 से जून 2017 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिले इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(अचिनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, फ़ॉन्स No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक /आठ /न्यूवे० /श्रोआ० /2017 /7538,

रायपुर, दिनांक 23.09.2017

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक /3761 /613 /16—ए /82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अविनाश चम्पावत श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :—

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2016	6391
अगस्त 2016	6346
सितम्बर 2016	6323
अक्टूबर 2016	6346
नवम्बर 2016	6323
दिसम्बर 2016	6277
जनवरी 2017	6254
फरवरी 2017	6254
मार्च 2017	6277
अप्रैल 2017	6323
मई 2017	6346
जून 2017	6391
कुल	$\frac{75850}{12} = 6320.83$ $= 6321$

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **6321** घोषित करता हूँ
जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों
के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिफ्टिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा।
इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 28-116-99-16-ए, दिनांक 04 सितम्बर
2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000 में प्रकाशित) एवं अधिसूचना क्रमांक
एफ 10-20/2012/16, दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के द्वारा
पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को
दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक देय रहेगा।



(अचिनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू०वे०/
श्र०आ०/२०१६/७५३८, दिनांक 23.09.2017 के अनुसार जुलाई 2016 से जून 2017 तक की
अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6321 रहा है। इसलिये अखिल
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2016
से जून 2017 तक की अवधि में 6321 (6321–4191=2130 पाईट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई
है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण
में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान
से 21.30 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक देय
है। (अनुसूची "फ")

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-२८-११६-९९-१६-ए, दिनांक 04 सितम्बर,
2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ १०-२०/२०१२/१६,
दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी
बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक देय है।

(अखिलेश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची “फ”

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 58.90	21.30	रु0 80.20 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 449.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 449.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों रु0 33.67 प्रति को बनाने या चिपकाने 1000 कट्टों पर संबंधी कार्य		एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	44.32
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर रु0 36.31 प्रति लेबल लगाया जाता है। 1000 कट्टों पर		एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	46.96
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 29.40 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	40.05
2.	झिल्ली लगाना	रु0 21.34 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार	29.33
3.	लेबल लगाना	रु0 8.26 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	10.92
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 8.54 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	11.20
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 123.13 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	165.73
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	180.02
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	180.02

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्ठी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, कलर्क, भूत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय—समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा—

01. **कुशल** : ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोर कीपर, हेड कलर्क, गोडाउन कीपर।
02. **अर्धकुशल** : बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाला, भट्ठी वाला, रसोईयां, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, कलर्क।
03. **अकुशल** : ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भूत्य, चौकीदार।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दर परिवर्तनशील महँगाई भत्ते सहित निम्नानुसार है।

क्रमांक	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महँगाई भत्ता	कुल वेतन प्रति माह	कुल वेतन प्रति दिन
1.	कुशल	4556.75	2130.00	6686.75	257.18
2.	अर्धकुशल	4368.70	2130.00	6498.70	249.95
3.	अकुशल	4182.55	2130.00	6312.55	242.79



(अचिनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2017 To 30.09.2018

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2017

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	58.90
2	Variable Dearness Allowance	21.30
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	4.01
4	Total Wages	84.21
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	7.01
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	8.42
7	Total Wages + Bonus + P.F. Contribution Less Contribution of Employer	84.22
8	Total Wages + Bonus	91.22
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	8.42
10	Net Payable to Beedi Roller	82.80

(अर्विनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4191 (1960=100) पर आधारित है। 4191 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह **5600** बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम **5600** बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह **5600** बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।



(अचिनाश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड—तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, नं. No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक /आठ /चू0वे0 /श्र0आ0 /2017 /7539,

रायपुर, दिनांक 23.09.2017

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0/303/आर/577/97/नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
36. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
40. विकास आयुक्त, विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर।
41. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
42. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
43. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
44. कृषि उत्पादन आयुक्त, रायपुर।
45. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
46. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, रायपुर।
47. राहत आयुक्त, रायपुर।
48. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
49. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
50. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
51. नियंत्रक, नाप—तौल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
52. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
53. आयुक्त, वाणिज्यिकर, रायपुर।
54. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर।
55. महानिदेशक विभागाध्यक्ष, ४००० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर।
56. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
57. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
58. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
59. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, जेल रोड रायपुर।
60. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा राजस्व संभाग।
61. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
62. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पुराना मंत्रालय के सामने रायपुर।
63. सचिव, राज्य महिला आयोग, रायपुर।
64. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेकट्रेट के पीछे, रायपुर।
65. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।

66. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
67. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।
68. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायपुर।
69. सचिव, राज्य युवा आयोग, रायपुर।
70. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर।
71. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।
72. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम—निमोरा, रायपुर।
73. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
74. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
75. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
76. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
77. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
78. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
79. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन रायपुर।
80. संचालक, उद्योग, उद्योग भवन, रायपुर।
81. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर।
82. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
83. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
84. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
85. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर।
86. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, रायपुर।
87. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर छत्तीसगढ़।
88. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
89. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
90. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
91. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, छत्तीसगढ़ रायपुर।
92. संचालक, सैनिक कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
93. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।
94. संचालक, कृषि विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
95. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, रायपुर, छत्तीसगढ़।
96. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

97. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
98. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
99. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।
100. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
101. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
102. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर।
103. संचालक, मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
104. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।
105. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
106. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के पास।
107. संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
108. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
109. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
110. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
111. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
112. प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
113. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
114. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, रायपुर।
115. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
116. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर छत्तीसगढ़।
117. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
119. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
120. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
121. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
122. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अंविकापुर छत्तीसगढ़।

127. कुल सचिव, स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
142. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
151. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
152. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर।
153. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
154. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर।
155. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
156. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
157. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
158. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर।

159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. समस्त उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।
165. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
166. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर।
167. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
168. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
169. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोणडागांव, गरियाबांद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर।
170. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
171. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर—चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
172. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
173. केन्द्र अभियंता दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
174. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।



(अचिन्तश चम्पावत)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, नॉ. No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक/आठ/न्यूवेन्यू/श.आ./2017/7540, नया रायपुर, दिनांक- 23.09.2017

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन
एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के
अंतर्गत दिनांक 01.10.2017 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की
दरें निर्धारित की गई हैं, जिसकी पुस्तका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी
की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक श्रमायुक्त

कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0, रायपुर